



भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Integrated Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, ग्यारवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
 Kendriya Bhawan, 11th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696
 Email : roc2.lko-mef@nic.in, goimoeftrolko@gmail.com

दिनांक : 24.08.2023

पत्र सं० : 8बी/यू0पी0/06/104/2023/एफ.सी. 314

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
 उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/ROAD/25904/2017

विषय: जनपद उन्नाव में प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा दही चौकी पावर हाउस से अग्नि शमन प्रशिक्षण केन्द्र दोस्तीनगर-उन्नाव तक बाईपास रोड के निर्माण में प्रभावित 7.3624 हे० आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 25 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पत्रांक 18/11-सी-FP/UP/Approach/144323/2021, दिनांक 04.07.2023.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक पी-108/81-2-2023-800(93)/2023, दिनांक 18.04.2023. का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रकरण को दिनांक 30.05.2023 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में Agenda Item No. 5.2 (UP) सम्मिलित किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर सूचना प्राप्त करने के पश्चात् आगामी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में प्रकरण को पुनः विचारार्थ रखा जायेगा :-

- 1- Site inspection report of DFO for area proposed for diversion needs to be submitted. When was the existing road constructed? Documentary evidence regarding the same need to be provided.
- 2- As per proposal, no. of trees proposed to be felled is 25 but as per .kml file submitted more than 25 trees are visible on area proposed for diversion. This also needs to be re-accessed.

जिसकी अनुपालन आख्या नोडल अधिकारी के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त हुयी है जिसपर विचारोपरान्त प्रकरण को दिनांक 10.08.2023 को को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में Agenda Item No. 8.8 (UP) सम्मिलित किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर सूचना प्राप्त करने के पश्चात् आगामी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में प्रकरण को पुनः विचारार्थ रखा जायेगा :-

1. No. of trees to be felled shall be corrected in part II of the proposal.
2. Alternative alignments as per FCA guidelines need to be submitted in respect of minimum tree felling and minimum forest area.
3. A joint site inspection of the proposed alignment shall be carried out by the DFO and concerned CCF along with Mr. Subhash Chandra, Superintendent Engineer, to explore possible alternatives since the present alignment is bifurcating the forest block.

अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रकरण के सम्बन्ध में उक्त जानकारी/सूचना इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें जिससे प्रकरण में आगामी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

भवदीय,

(डॉ० प्रणय मिश्रा)

सहायक वन महानिरीक्षक (केंद्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, उन्नाव।
4. सहायक अभियंता, प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, उन्नाव।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्रणय मिश्रा)
सहायक वन महानिरीक्षक (केंद्रीय)